महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

ज्ञान शांति मैत्री

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क़ादर नवाज़ ख़ान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
ई–मेल/E-mail: registrar@mgahv.in

क्रमांकः 006 / स्था. / का. / 2020 / 07 / 1578
दिनांक : 22.07.2023

कार्यालयादेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 18.07.2018 को अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 के अनुसार कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत अगले उच्च अकादमिक लेवल / चरण (स्टेज) में प्रोन्नयन हेतु विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों (नियमित / दूर शिक्षा माध्यम) को समानता की दृष्टि से समान लाभ प्राप्त हो सके, इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 17.07.2021 तक अर्ह होने वाले एवं आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों को पुराने अथवा नए विकल्प को अपनाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस हेतु उक्त आशय की लिखित सहमति निर्धारित प्रपत्र में अवश्य दी जाए।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत दिनांक 21.10.2020 को जारी परिपत्र क्रमांक Estt./006/5-1/2014/853 के संबंधित पैरा–4 एवं 5 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। शेष विवरण यथावत रहेगा।

क़ादर नवाज़
(क़ादर नवाज़ ख़ान)
22/7/23

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त संबंधित कर्मी।

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1) कुलपति कार्यालय
2) प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3) समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष / प्रमुख, केंद्र निदेशक
4) अकादमिक निदेशक : क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
5) प्रभारी : क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
6) प्रभारी : सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी मराठी भाषा तथा तत्वज्ञान अध्ययन केंद्र, रिद्धपुर (अमरावती)
7) निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चायन प्रकोष्ठ
8) कुलसचिव कार्यालय
9) वित्ताधिकारी कार्यालय
10) लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
11) रक्षित पत्रावली।